चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

प्रबन्ध मण्डल की १४७वीं बैठक

दिनांक ०२-०६-२०१२ का कार्यवृत्त

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

प्रबन्ध मण्डल की 147वीं बैठक का कार्यवृत्त।

दिनॉक : 02.06.2012

सभास्थल : प्रसार निदेशालय, स्वामीनाथन अतिथिगृह का सभागार।

समय : मध्यान्ह 11:00 बजे

उपस्थिति :–

1.	**प्रो0 अशोक कुमार,** कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल	अध्यक्ष
2.	**अपर निदेशक कोषागार** प्रतिनिधि प्रमुख सचिव वित्त, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ ।	प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि
3.	**श्री बादल चटर्जी,** विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ।	प्रमुख सचिव कृषि शिक्षा के प्रतिनिधि
4.	**श्री एल0बी0 सिंह,** संयुक्त कृषि निदेशक	निदेशक कृषि के प्रतिनिधि
5.	**डा0 आर0 के0 दीक्षित,** कृषि वैज्ञानिक, जी–649, कैलाश विहार, आवास विकास–1 कल्यानपुर, कानपुर।	सदस्य
6.	**श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी,** ग्राम–सेवरा, थाना–बरहन, तहसील–एत्मादपुर, जिला–आगरा।	सदस्य
7.	**श्री एस0सी0 मुद्गल,** अर्थ नियन्त्रक, सचिव प्रबन्ध मण्डल	सचिव

सर्वप्रथम कुलपति महोदय एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल द्वारा मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव, प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर प्रबन्ध मण्डल के मा0 सदस्यों द्वारा मदवार चर्चा की गयी। प्रस्तुत प्रस्तावों पर मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्राप्त निर्णयों का मदवार विवरण निम्नवत् है :

मद संख्या 1	:	**प्रबन्ध मण्डल की दिनॉक 28.07.2011 को सम्पन्न हुई 146वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा 146वीं बैठक दिनांक 28.07.2011 की कार्यवृत्त का अनुमोदन/पुष्टि कर दी गयी।
मद संख्या 2	:	**चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 146वीं बैठक दिनांक 28.07.2011 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही पर सन्तोष व्यक्त करते हुए निम्न निर्देश दिये :- 1. मा0 प्रबन्ध मण्डल की 146वीं बैठक के मद संख्या-2 के बिन्दु संख्या-2 के सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा श्री टी0सी0 मिश्रा के प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। 2. मा0 प्रबन्ध मण्डल की 146वीं बैठक के मद संख्या-2 के बिन्दु संख्या-5 के सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। 3. मा0 प्रबन्ध मण्डल की 146वीं बैठक के मद संख्या-2 के बिन्दु संख्या-10 के सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा संशोधित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। 4. मा0 प्रबन्ध मण्डल की 146वीं बैठक के मद संख्या-2 के बिन्दु संख्या-पूरक 8 के सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा संशोधित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
मद संख्या 3	:	**कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय** अधिनियम **1958 की** धारा-11(1) के प्राविधानानुसार **नये कुलपति के** चयन हेतु गठित **होने वाली सर्च** कमेटी में कृषि **विश्वविद्यालय, कानपुर की प्रबन्ध** परिषद द्वारा **एक सदस्य** नामित करने पर विचार। कार्यवाही अलग से की गयी है।

मद संख्या 4	:	आयोजनेत्तर पक्ष/आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2011–12 का वास्तविक व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुमानों की स्वीकृति/व्यय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 5	:	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित **"Experiential Learning Units"** के विश्वविद्यालय में कियान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 6	:	राज्य औद्यानिक मिशन, उ0प्र0 द्वारा वित्त पोषित **"Estiblishment of tissue Culture Laboratory"** परियोजना के विश्वविद्यालय में कियान्वयन के सम्बन्ध में। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 7	:	पृथ्वी विज्ञान मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित एवं भारतीय मौसम विभाग द्वारा संचालित **"Forecasting of Agricultural output using space, Agro-meteorology and Land based observation"** परियोजना को विश्वविद्यालय में कियान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 8	:	विश्वविद्यालय को प्राप्त विभिन्न संस्थाओं के नमूनों का **Efficacy Testing** पर होने वाले वास्तविक व्यय के सापेक्ष पांच गुना अधिक चार्ज प्राप्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 9	:	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित **"Exploration & Exploitation of Trichoderma as antagonist against soil borne pathogens"** योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
मद संख्या 10	:	डा0 विश्वजीत सिंह, सहायक प्राध्यापक (कीट विज्ञान)/प्रभारी अधिकारी, नार्प, कलाई, अलीगढ़, डा0 रामाश्रय मिश्रा, प्राध्यापक एवं अध्यक्ष बायोटेक्नोलॉजी, डा0 राजेन्द्र पाण्डेय, प्राध्यापक, ई0बी0वी0 के पुत्र श्री संदीप पाण्डेय की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की धनराशि कमशः रु0 2,91,054.00, रु0 2,58,046.00, रु0 3,03,326.00 के अनुमोदन/भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देशित किया कि भुगतान किये जाने वाले बीजकों का भली–भाँति परीक्षण करते हुए कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर पर की जाये।

मद संख्या 11	:	प्रगति आख्या (01 दिसम्बर, 2011 से 30 अप्रैल, 2012 तक) चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रगति आख्या पर सन्तोष व्यक्त किया गया।
मद संख्या 12	:	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।**
पूरक 1	:	**बाबा साहब डा0 भीम राव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौ0 महाविद्यालय, इटावा में संचालित स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 2011–12 का वास्तविक आय–व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुमानित आय–व्यय को माननीय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार एवं स्वीकृत के सम्बन्ध में।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 2	:	**विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को सम्पन्न कराने हेतु कुलसचिव के अधीन गठित परीक्षा प्रकोष्ठ के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 3	:	**उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा–2012 के माध्यम से विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संशोधित Degree Nomenclature के अनुमोदन पर विचार।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 4	:	**डा0 मुकेश सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केन्द्र, हरदोई, डा0 अवधेश कुमार तिवारी, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केन्द्र, रायबरेली तथा डा0 वाई0के0 सिंह, कनिष्ठ वैज्ञानिक (सस्य), एकिप सरघम योजना, मऊरानीपुर एवं डा0 संजय सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केन्द्र, इटावा का धारणाधिकार विस्तारित करने सम्बन्धी प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 भूमि सुधार निगम के पत्र दिनॉक 22.10.2011 एवं 04.11.2011 तथा प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनॉक 25.11.2011 पर विचारार्थ प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यों सहित शासन को संदर्भित कर दिया जाय।
पूरक 5	:	डा0 अरूण कुमार, सह–प्राध्यापक (सस्य) का चयन बिहार कृषि विश्वविद्यालय, साबोर में निदेशक प्लानिंग पद पर हो जाने के फलस्वरूप कार्यमुक्त होने के दिनॉक 08.06.2011 (अपरान्ह) से दो वर्ष का धारणाधिकार (लियन) दिये जाने का प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

पूरक 6	:	**डा0 राजीव कुमार सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ (सस्य), कृषि विज्ञान केन्द्र, अलीगढ़ का विषय वस्तु विशेषज्ञ (सस्य) पद से त्यागपत्र स्वीकार करने सम्बन्धी उनके पत्र पर विचार हेतु प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 7	:	**डा0 अशर्फी लाल जाटव, प्राध्यापक, लाइफ साइन्स, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के दिनॉक 26.11.2011 से 25.11.2014 (03 वर्ष) तक धारणाधिकार बढ़ाये जाने हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र पर विचार।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
पूरक 8	:	**श्री शशि कान्त, विषय वस्तु विशेषज्ञ (पशुपालन) कृषि विज्ञान केन्द्र, दलीपनगर का इस विश्वविद्यालय की यू0पी0 कैटेट–2011 पी0एच–डी0 प्रवेश परीक्षा में चयन हो जाने के फलस्वरूप सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ से पी0एच–डी0 करने की अनुमति हेतु तीन वर्ष का सवैतनिक अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्र की गाइड लाइन एवं संगत नियमों के प्रकाश में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
पूरक 9	:	**श्री अमर सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ (उद्यान) कृषि विज्ञान केन्द्र, कन्नौज का इस विश्वविद्यालय की यू0पी0 कैटेट–2011 पी0एच–डी0 प्रवेश परीक्षा में चयन हो जाने के फलस्वरूप नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद से पी0एच–डी0 करने की अनुमति हेतु तीन वर्ष का सवैतनिक अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्र की गाइड लाइन एवं संगत नियमों के प्रकाश में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
पूरक 10	:	**डा0 महेन्द्र प्रसाद, विषय वस्तु विशेषज्ञ (पशुपालन) कृषि विज्ञान केन्द्र, फर्रूखाबाद को उ0प्र0 भूमि सुधार निगम, लखनऊ में परियोजना प्रबन्धक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के फलस्वरूप उनके मूल पद पर कार्यमुक्त होने के दिनॉक से 02 वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखने सम्बन्धी प्रस्ताव।** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्र की गाइड लाइन एवं संगत नियमों के प्रकाश में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

पूरक 11	:	कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए स्वीकृत कार्यक्रम समन्वयक एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ पदों पर समायोजित वैज्ञानिकों को कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अन्तर्गत सीनियर स्केल, चयन वेतनमान एवं वैयक्तिक प्रोन्नति का लाभ अनुमन्य कराये जाने का प्रस्ताव। मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्र की गाइड लाइन एवं संगत नियमों के प्रकाश में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
पूरक 12	:	**Creation of a Vigilance Cell in the University.** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
पूरक 13	:	**Creation of a Sexual Harassment of Women at work place Cell.** मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अन्त में बैठक मा0 अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद उपरान्त समाप्त हो गयी।

अनुमोदित   Please see the note

{प्रो0 अशोक कुमार}
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल

{एस0सी0 मुद्गल}
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल

Note.

* Please see the act of Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology about the membership of Board of Management: The members should be

(i) The Secretary to the State Govt. in the Agriculture Deptt
(ii) in the Finance Deptt
(iii) in the Education Deptt
(iv) The Director of Agriculture UP
(v) The Director of Animal Husbandry. UP

In the proposed meeting of BOM held on 2nd June 2012 there were representatives of the Secretary. [illegible] Please ensure that the proceedings of the BOM is legal & in tune with the Act.

3/6/2012